कुत्ते पीछे लगे तो टू व्हीलर से जा रही किशोरी हो गई घायल

रात 10 बजे बाद सड़क पर गुजरना हुआ खतरनाक

भास्कर संवाददाता | रतलाम

शुक्रवार को सिद्धि विनायक कॉलोनी निवासी पलक जैन टू व्हीलर से गुजर रही थी। सड़क किनारे बैठे कुत्ते पीछे लपक गए। पलक वाहन सहित गिर गईं। सूरजपौर पर भी गुरुवार रात को एक दोपहिया वाहन चालक के पीछे कुत्ते दौड़े। दो दिन पहले यहां स्कूटी सवार महिला भी कुत्तों के लपकने से गिर गईं थीं। व्यापारी विमल जैन ने बताया कि शहर की हर सड़कों पर कुत्तों का जमावड़ा लगा है। रात 10 बजे बाद तो शहर की सड़कों से गुजरना खतरे से कम नहीं हैं। नगर निगम के पास पैलेस रोड पर दो दर्जन से ज्यादा कुत्तों का झुंड साथ घूमता रहता है। सामाजिक कार्यकर्ता हितेंद्र उपाध्याय ने बताया कुत्तों के कारण रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। पुराने कलेक्टोरेट से पांजरा पोल और नगर निगम तक कुत्तों का आतंक है।

चोटील हुई पलक जैन।

पुलिसकर्मी भी कुत्तों से परेशान - कुत्तों से पुलिसकर्मी भी परेशान हैं। पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था संभालने के दौरान दिक्कत आ रही है। गुरुवार रात 10 बजे सूरजपौर पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिसकर्मी तैनात थे। एक दर्जन से ज्यादा कुत्ते सूरजपौर पुलिस चौकी के सामने बैठ गए। पुलिसकर्मी इन्हें भगाते नजर आए। यह कुत्ते सूरजपौर स्थित चौकी के आसपास मंडराते रहे। पुलिसकर्मी खासे परेशान नजर आए। पुलिसकर्मी के भगाने के तुरंत बाद ये वापस आ जाते हैं। इससे एक घंटे तक पुलिसकर्मी मशक्कत करते रहे।

दै. भास्कर २१/८/२१

रतलाम जिले में 31 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 अगस्त की प्रात: 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा।

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

रुल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी [illegible] अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा [illegible] सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों [illegible] कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क [illegible] सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना [illegible] रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवा[illegible] होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान [illegible] संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी [illegible] संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा [illegible] प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रया[illegible] किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठा[illegible] पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेश[illegible] हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दं[illegible] संहिता 1860 की धारा 188 तथा आप[illegible] प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 [illegible] 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही [illegible] जाएगी।

इन्दौर

इन्दौर समाचार २[illegible]

जिले में 31 अगस्त तक लागू रहेगा नाईट कर्फ्यू

दबंग रिपोर्टर ■ रतलाम

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 अगस्त की सुबह 6 बजे तक के लिए यह आदेश लागू रहेंगे।

आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। दुकानें, व्यावसायिक [illegible]

अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में [illegible]

अधिकतम 6 लोगों का आदेश रहेगा जारी

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनेटाइजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा।

पलसोड़ा वर्कशॉप में ओर अधिक पौधे लगाने के दिए निर्देश

र एवं प्रशासक द्वारा एसटीपी प्लांट व वर्कशॉप का निरीक्षण

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप व खेतलपुर में निर्मित एस टी पी प्लॉट का निरीक्षण कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं प्रशासक पुरूषोत्तम ने पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वर्कशॉप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु निर्मित की गई बाउण्ड्रीवॉल व कार्यालय हेतु निर्मित किये गये कक्षों का अवलोकन कराया व बताया कि वर्कशॉप को हरा-भरा किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधो का रोपण किया गया है।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया वर्कशॉप परिसर में और अधिक पौधो का रोपण किया जाये ताकि वर्षाकाल में पौधे पनप सकें साथ ही उन्होने निर्देशित किया कि वाहनों की निगरानी हेतु जीपीएस कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाकर कर्मचारी नियुक्त किया जाये।

इसके पश्चात कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने खेतलपुर में निर्मित सीवरेज एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि एसटीपी प्लांट का टेस्टींग कार्य प्रारंभ हो चुका है व ट्रीटेड (शोधित) जल के पुनः उपयोग हेतु ओवर हैड टेंक आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम को पीडीएमसी के रेसीडेन्ट इंजीनियर तथा ठेकेदार के प्रोजक्ट इंजीनियरों द्वारा एसटीपी प्लांट की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि एसटीपी प्लांट का पंहूच मार्ग शीघ्र बनाया जाये।

निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी. के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्याम सोनी, उपयंत्री मनीष तिवारी, योजना के ठेकेदार व इंजीनियर उपस्थित थे।

प्रसारण २१/८/२१

दिव्यांगजनों के लिए अक्टूबर में होगा वृहद शिविर

विधायक काश्यप ने एल्मिकों के साथ बनाई रूप रेखा

प्रसारण न्यूज • रतलाम

दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में वृहद शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने भारत शासन की उपकरण निर्माता एल्मिको कंपनी के साथ विचार विमर्श किया।

एल्मिको कंपनी के संचालक उमेश झालानी एवं प्रबंधक राजेश दुबे के साथ हुई चर्चा में विधायक काश्यप ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले वृहद शिविर में 1000-1200 हितग्राहियों को उपकरण वितरण करना प्रस्तावित है। उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिंह से भी चर्चा की और उन्हें वृहद शिविर की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

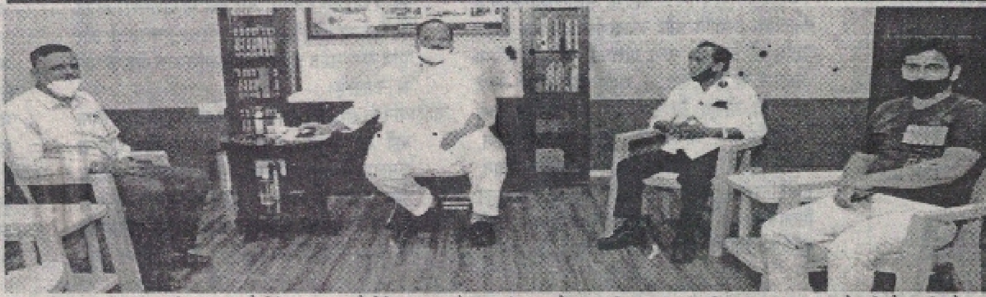

भारत शासन के सामाजिक न्याय विभाग के उपक्रम एल्मिको विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। इसकी उत्पाद श्रेणी में उपरी और निचली एक्सट्रीमिटीज के लिए ऑर्थोपेटिक और प्रोस्थैटिक उपकरण स्पाईनल ब्रेसिस, सर्वाईकल कॉलर्स, ट्रैक्शन किट्स, पुनर्वास सहायक व्हील चेयर, बैसाखियां और थ्री व्हीलर आदि शामिल है। नेत्र दिव्यांगों के लिए ब्रेल स्लेट, फोल्डिंग केन, एवं ब्रेल शार्ट-हैंड मशीन, अस्थि दिव्यांगोंके लिए लोअर लिम्ब ऑर्थोपेटिक (कैलिपर्स), लोअर लिम्ब प्रोस्थैटिक (कृत्रिम पैर), अपर लिम्ब प्रोस्थैटिक (कृत्रिम हाथ), स्पाईनल ऑर्थोपेटिक (गर्दन और पीठ के ब्रेसिस), प्रोस्थैटिक आपूर्ति (स्टौकिनैट्स), व्हीलचेयर्स (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), तिपहिया साईकिलें (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), कांख एवं कोहनी बैसाखी, पैदल छडी, जेब में रखने योग्य श्रवण यंत्र भी एल्मिकों द्वारा बनाए जाते है। कंपनी द्वारा रतलाम में पूर्व में भी शिविर आयोजित हुए हैं जिनमें कई दिव्यांग व वृद्धजनों को उपकरण वितरित किए गए हैं। चर्चा के दौरान हेमन्त राहोरी भी मौजूद रहे।

प्रसारण

प्रसारण 21/8/21

दिव्यांगजनों के लिए अक्टूबर में होगा वृहद शिविर

विधायक काश्यप ने एल्मिकों के साथ बनाई रूप रेखा

स्वतंत्र एलान रिपोर्टर

रतलाम । दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में वृहद शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने भारत शासन की उपकरण निर्माता एल्मिको कंपनी के साथ विचार विमर्श किया। एल्मिको कंपनी के संचालक उमेश झालानी एवं प्रबंधक राजेश दुबे के साथ हुई चर्चा में विधायक काश्यप ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले वृहद शिविर में 1000-1200 हितग्राहियों को उपकरण वितरण करना प्रस्तावित है। उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिंह से भी चर्चा की और उन्हें वृहद शिविर की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।

भारत शासन के सामाजिक न्याय विभाग के उपक्रम एल्मिको विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। इसकी उत्पाद श्रेणी में उपरी और निचली एक्सट्रीमिटीज़ के लिए ऑर्थोपेटिक और प्रोस्थैटिक उपकरण स्पाईनल ब्रेसिस, सर्वाईकल कॉलर्स, ट्रैक्शन किट्स, पुनर्वास सहायक व्हील चेयर, बैसाखियां और थ्री व्हीलर आदि शामिल है। नेत्र दिव्यांगों के लिए ब्रेल स्लेट, फोल्डिंग केन, एवं ब्रेल शार्ट-हैंड मशीन, अस्थि दिव्यांगोंके लिए लोअर लिम्ब ऑर्थोपेटिक (कैलिपर्स), लोअर लिम्ब प्रोस्थैटिक (कृत्रिम पैर), अपर लिम्ब प्रोस्थैटिक (कृत्रिम हाथ), स्पाईनल ऑर्थोपेटिक (गर्दन और पीठ के ब्रेसिस), प्रोस्थैटिक आपूर्ति (स्टौकिनैट्स), व्हीलचेयर्स (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), तिपहिया साईकिलें (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), कांख एवं कोहनी बैसाखी, पैदल छडी, जेब में रखने योग्य श्रवण यंत्र भी एल्मिकों द्वारा बनाए जाते है। कंपनी द्वारा रतलाम में पूर्व में भी शिविर आयोजित हुए हैं जिनमें कई दिव्यांग व वृद्धजनों को उपकरण वितरित किए गए हैं।

स्वतंत्र

स्वतंत्र एलान 21/8/21

दिव्यांग महिला ने विधायक से लगाई थी गुहार

जिम्मेदारों को दिव्यांग के घर पहुंचाकर बनवाया आयुष्मान कार्ड

पत्रिका सोशल प्राइड

रतलाम. राजस्व नगर महूरोड निवासी दिव्यांग बीमार महिला कलाबाई ने शहर विधायक चैतन्य काश्यप को सूचना भिजवाकर गुहार लगाई कि वह मूक बधिर और बीमार है और चलने फिरने में असमर्थ है। इसलिए जरुरत होने पर भी वो आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बनवा पा रही है, जबकि उसको इलाज के लिए इसकी जरुरत है। जैसे ही इसकी जानकारी शहर विधायक काश्यप को मिली, अधिकारियों को महिला के निवास पर कार्ड बनवाने भेज दिया।

कला ने बताया उनको यह भरोसा ही नहीं था की इतनी जल्दी सुनवाई हो जाएगी। उन्होंने तो मोहल्ले के राकेश परमार को इस संबंध में बस कहा था की विधायक सभी की मदद करते हैं, उनकी मदद कौन करेगा। इसके बाद पाटीदार ने विषय की जानकारी ली व शहर विधायक को महिला कला की गंभीर समस्या के बारे में बताया। इसके बाद शहर विधायक ने प्रशासनीक अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी व महिला की मदद करने को कहा। इसके बाद वीएलइ अंशुल सोनी के माध्यम से आयुष्मान पंजीयन करवाया साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करवाया।

3 घंटे में काम हो गया

दिव्यांग होने की वजह से कही आने जाने में समर्थ नहीं है। मोहल्ले के राकेश को इस बारे में कहा की शहर विधायक सभी की मदद करते है तो हमारे भी कार्ड बनवा दो। तीन घंटे में ही अधिकारी आ गए व कार्ड बनवाने के लिए दस्तावेज पूरे कर दिए। **- कला बाई**, राजस्व कॉलोनी, महू रोड

जन्म... पीड़ित मानवता की सेवा के लिए

मनुष्य का जन्म पीड़ित मानवता की सेवा के लिए ही होता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि कही से अगर कोई परेशान है व जानकारी मिले तो मदद की जाए। यही ईश्वर की सच्ची सेवा है।

- चैतन्य काश्यप, शहर विधायक

पत्रिका 21/8/21

दिव्यांगजनों के लिए अक्टूबर में शिविर, विधायक ने एल्मिको के साथ बनाई रूपरेखा

रतलाम। दिव्यांगजनों और वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में वृहद शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने भारत शासन की उपकरण निर्माता एल्मिको कंपनी के साथ विचार विमर्श किया।

एल्मिको कंपनी के संचालक उमेश झालानी व प्रबंधक राजेश दुबे के साथ हुई चर्चा में विधायक काश्यप ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले वृहद शिविर में 1000-1200 हितग्राहियों को उपकरण वितरण करना प्रस्तावित है। उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ मीनाक्षी सिंह से भी चर्चा की और तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। भारत शासन के सामाजिक न्याय विभाग के उपक्रम एल्मिको विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। इसकी उत्पाद श्रेणी में ऊपरी और निचली एक्सट्रीमिटीज के लिए आर्थोपेडिक और प्रोस्थेटिक उपकरण स्पाइनल ब्रेसिस, सर्वाईकल कालर्स, ट्रैक्शन किट्स, पुनर्वास सहायक व्हील चेयर, बैसाखियां और थ्री व्हीलर आदि शामिल हैं। नेत्र दिव्यांगों के लिए ब्रेल स्लेट, फोल्डिंग केन, ब्रेल शार्ट-हैंड मशीन, अस्थि दिव्यांगों के लिए लोअर लिंब आर्थोपेडिक (कैलिपर्स), लोअर लिंब प्रोस्थेटिक (कृत्रिम पैर), अपर लिंब प्रोस्थेटिक (कृत्रिम हाथ), स्पाइनल आर्थोपेडिक (गर्दन और पीठ के ब्रेसिस), प्रोस्थेटिक आपूर्ति (स्टोकिनेट्स), व्हीलचेयर्स (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), तीन पहिया साइकिलें (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), कांख एवं कोहनी बैसाखी, पैदल छडी, जेब में रखने योग्य श्रवण यंत्र भी एल्मिको द्वारा बनाए जाते हैं।

नईदुनिया 21/8/21

कलेक्टर एवं प्रशासक द्वारा एसटीपी प्लांट व वर्कशॉप का निरीक्षण

पलसोड़ा वर्कशॉप में ओर अधिक पौधे लगाने के दिये निर्देश

रतलाम। पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप व खेतलपुर में निर्मित एसटीपी प्लॉट का निरीक्षण कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कलेक्टर एवं प्रशासक पुरुषोत्तम ने पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वर्कशॉप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु निर्मित की गई बाउण्ड्रीवॉल व कार्यालय हेतु निर्मित किये गये कक्षों का अवलोकन कराया व बताया कि वर्कशॉप को हरा-भरा किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधो का रोपण किया गया है। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया वर्कशॉप परिसर में और अधिक पौधो का रोपण किया जाये ताकि वर्षाकाल में पौधे पनप सकें साथ ही उन्होने निर्देशित किया कि वाहनों की निगरानी हेतु जीपीएस कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाकर कर्मचारी नियुक्त किया जाये। इसके पश्चात कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने खेतलपुर में निर्मित सीवरेज एसटीपी प्लांट का निरीक्षण करने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि एसटीपी प्लांट का टेस्टींग कार्य प्रारंभ हो चुका है व ट्रीटेड (शोधित) जल के पुनः उपयोग हेतु ओवर हैड टेंक आवश्यक है। इस अवसर पर कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम को पीडीएमसी के रेसीडेन्ट इंजीनियर तथा ठेकेदार के प्रोजक्ट इंजीनियरों द्वारा एसटीपी प्लांट की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया कि एसटीपी प्लांट का पंहूच मार्ग शीघ्र बनाया जाये। निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री सुरेशचन्द्र व्यास, जी.के. जायसवाल, मोहम्मद हनीफ शेख, सहायक यंत्री श्याम सोनी, उपयंत्री मनीष तिवारी, योजना के ठेकेदार व इंजीनियर उपस्थित थे।

इन्दौर समाचार २1/8/२1

शनिवार को जिले में 45 केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन किया जाएगा

रतलाम। शहर में शनिवार को कम्युनिटी हॉल अल्कापुरी और जैन काश्यप सभागृह सागोद रोड रतलाम पर कोविशील्ड के दूसरे डोज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहर के आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर पर को वैक्सीन के दूसरे डोज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने सभी लोगों से दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि शहर के न्यू कलेक्टोरेट केंद्र पर विदेश यात्रा करने वाले एवं शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा।

जिले के आलोट क्षेत्र में अम्बेडकर भवन आलोट, अम्बेडकर भवन ताल, ग्राम केलुखेडा, ग्राम जोयन, ग्राम मालाखेडा, ग्राम गरडा में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बाजना क्षेत्र के बाजना, राजापुरा माताजी, बिंटी, संदला, भोजपुरा, सादेडा, तंबोलिया, अमरपुराकलां, सेमलखेडी, कुडियापाडा में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जावरा क्षेत्र में रोजाना, कलालिया, लुहारी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जावरा, अंबेडकर भवन जावरा नगरपालिका टाउन हॉल एक में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। पिपलोदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरगढ, मचून, हतनारा, रणायरा, बरखेडी में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सैलाना क्षेत्र के ग्राम कुआंझागर, पुनियाखेडी, झारी, बडीखुर्द और इंद्रावल खुर्द में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्रसारण

प्रसारण 21/8/21

आज जिले में 45 केंद्रों पर कोविड वैक्सीनेशन

रतलाम। शहर में शनिवार को कम्युनिटी हॉल अल्कापुरी और जैन काश्यप सभागृह सागोद रोड रतलाम पर कोविशील्ड के दूसरे डोज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहर के आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर पर को वैक्सीन के दूसरे डोज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने सभी लोगों से दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि शहर के न्यू कलेक्टोरेट केंद्र पर विदेश यात्रा करने वाले एवं शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले के आलोट क्षेत्र में अम्बेडकर भवन आलोट, अम्बेडकर भवन ताल, ग्राम केलुखेडा, ग्राम जोयन, ग्राम मालाखेडा, ग्राम गरडा में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बाजना क्षेत्र के बाजना, राजापुरा माताजी, बिंटी, संदला, भोजपुरा, सादेडा, तंबोलिया, अमरपुराकलां, सेमलखेडी, कुडियापाडा में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जावरा क्षेत्र में रोजाना, कलालिया, लुहारी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जावरा, अंबेडकर भवन जावरा नगरपालिका टाउन हॉल एक में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। पिपलोदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरगढ, मचून, हतनारा, रणायरा, बरखेडी में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सैलाना क्षेत्र के ग्राम कुआंझागर, पुनियाखेडी, झारी, बडीखुर्द और इंद्रावल खुर्द में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा।

अक्षरभारत 21/8/21

वैक्सीनेशन

अलकापुरी व सागोद रोड पर दूसरा डोज लगेगा

रतलाम | जिले में शनिवार को 45 केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहर में अलकापुरी कम्युनिटी हॉल और सागोद रोड स्थित जैन काश्यप सभागृह में कोविशील्ड का दूसरा डोज लगाया जाएगा। आईएमए हॉल राजेंद्र नगर में को-वैक्सीन का दूसरा टीका लगेगा। सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया सभी लोगों को दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाना है, इससे सुरक्षा होगी। न्यू कलेक्टोरेट केंद्र में विदेश यात्रा करने वाले व शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले के बाजना क्षेत्र के बाजना, राजापुरा माताजी, बिंटी, संदला, भोजपुरा, सादेडा, तंबोलिया, अमरपुराकलां, सेमलखेडी, कुडियापाडा, पिपलौदा क्षेत्र के पंचायत बरगढ, मचून, हतनारा, रणायरा, बरखेड़ी में कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सैलाना क्षेत्र के ग्राम कुआंझागर, पुनियाखेडी, झारी, बडीखुर्द और इंद्रावल खुर्द में टीके लगेंगे।

दे. भास्कर 21/8/21

शहर में 98% को लगा कोविड पहला टीका

रतलाम @ पत्रिका. जिले में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन के दौरान करीब आठ लाख लोगों को कोविड का पहला टीका लग चुका है। टीकाकरण के इस महाअभियान को लेकर एक लाख से अधिक लोग ऐसे भी हैं जिनके द्वारा टीके का दूसरा डोज भी लगवा लिया गया है। पहले दौर का टीका लगवाने के लिए अब गिनती के ही लोग से रह गए हैं। बात यदि रतलाम शहर की करें तो यहां पर 98 फीसदी से अधिक लोगों को पहले चरण का टीकाकरण हो चुका है। इतना ही नहीं 56 प्रतिशत लोगों ने टीके का दूसरा डोज भी लगवा लिया है। पत्रिका

पत्रिका 21/8/21

हनुमान ताल के कैचमेंट में बनाई पुलिया तोड़ेंगे

कलेक्टर ने पूर्व में जारी की गई अनुमति को निरस्त कर पुलिया तोड़ने के आदेश दिए

शिकायत के आधार पर तहसीलदार से जांच कराई तो शर्तों का उल्लंघन करने के साथ ही 360 फीट सरकारी जमीन पर निर्माण मिला

भास्कर संवाददाता | रतलाम

हनुमान ताल के कैचमेंट एरिया में शर्तों का उल्लंघन कर सरकारी जमीन पर पुलिया निर्माण करने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया का निर्माण तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। हनुमान ताल की सुरक्षा देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं।

मामला बरबड़ क्षेत्र का है। यहां होटल बालाजी सेंट्रल के पास होटल एवं मैरिज गार्डन का निर्माण चल रहा है। यहां निर्माण की अनुमति तो पूर्व में जारी की गथी। होटल और मैरिज गार्डन निर्माणकर्ता ने दी अनुमति शर्तों का उल्लंघन करते हुए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया। इस पर पूर्व पार्षद सीमा टांक ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। कलेक्टर के आदेश पर मौके पर पहुंच जब तहसीलदार शहर ने नपती कराई तो शर्तों का उल्लंघन करते हुए 360 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर अधिक निर्माण होना मिला। इस पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने तुरंत एक्शन लेते हुए हनुमान ताल की सुरक्षा के मद्देनजर कृष्ण चंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक को पूर्व में दी अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया कि शर्त अनुसार पुलिया की संरचना रूपांकन पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवा कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया। साथ ही अन्य शर्तों का भी उल्लंघन किया।

हनुमान ताल का प्रमुख कैचमेंट एरिया है

जहां होटल और मैरिज गार्डन का निर्माण हो रहा है उसके पास ही यह जगह हनुमान ताल का प्रमुख कैचमेंट एरिया है। यहां से बारिश का पानी हनुमान ताल तक पहुंचता है और इससे हनुमान ताल लबालब होता है। यहां पलसोड़ा की तरफ से पानी आता है और बरबड़ होते हुए सीधे हनुमान ताल पर पहुंचता है। इससे अब हनुमान ताल में पानी पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी।

दै. भास्कर 21/8/21

कलेक्टर ने अनुमति की निरस्त

पहले अनुमति अब नियमों के उल्लंघन पर टूटेगा पुलिया निर्माण

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में नियम और शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व में दी गई अनुमति को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निरस्त कर दिया है। कलेक्टर न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने के निर्देश जारी किए गए है। शहर के बरबड क्षेत्र में नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन निर्माणकर्ता द्वारा किया गया है।

इस मामले की शिकायत पूर्व पार्षद सीमा टाक द्वारा की गई थी जिसमें उनके द्वारा दिए गए आवेदन में आपत्ति ली गई थी कि कृष्णचंद्र चौधरी निवासी चांदनी चौक रतलाम को पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे में पूर्व कलेक्टर द्वारा जारी की गई अनुमति को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण बताया गया कि व्यक्ति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया है। तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया। कलेक्टर द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया गया है। बताया गया है कि शर्त अनुसार प्रति प्रार्थी द्वारा पुलिया की संरचना रूपांकन पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवा कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया, अन्य शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। पत्रिका

पत्रिका 21/8/21

शर्तों का उल्लंघन किया, पुलिया निर्माण तोड़ा जाएगा, बरबढ़ क्षेत्र में दी गई अनुमती कलेक्टर द्वारा निरस्त की गई

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के न्यायालय द्वारा एक आदेश जारी करते हुए द्वारा नाले पर पुलिया निर्माण के मामले में शर्तों के उल्लंघन पर पूर्व में दी गई अनुमति निरस्त करते हुए पुलिया निर्माण तोड़े जाने का आदेश जारी किया गया है।

शहर , के बरबढ़ क्षेत्र में नाले पर पुलिया बनाए जाने के लिए दी गई अनुमति की शर्तों का उल्लंघन निर्माणकर्ता द्वारा किया गया। प्रार्थी श्रीमती सीमा टांक के आवेदन पर प्रति प्रार्थी श्री कृष्णचंद्र पिता चांदमल चौधरी निवासी चांदनी चौक रतलाम को पुलिया निर्माण के लिए पूर्व कलेक्टर द्वारा दी गई अनुमति कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा निरस्त की गई है, क्योंकि व्यक्ति द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया गया।

तहसीलदार शहर द्वारा की गई जांच में शर्तों के उल्लंघन के साथ- मौके पर 360 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर अधिक निर्माण किया जाना पाया गया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा हनुमान ताल सुरक्षा के मद्देनजर पूर्व में दी गई अनुमति को निरस्त करते हुए निर्मित की गई पुलिया के निर्माण को तोड़े जाने के लिए आदेशित किया गया है। बताया गया है कि शर्त अनुसार प्रति प्रार्थी द्वारा पुलिया की संरचना रूपांकन पंजीकृत संरचना यंत्री से तैयार करवा कर कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग से अनुमोदन नहीं कराया गया, अन्य शर्तों का भी उल्लंघन किया गया। प्रसारण

प्रसारण 21/8/21

मुख्यमंत्री की रोज पानी देने की घोषणा पर अमल नहीं कर सका नगर निगम ?

रतलाम। खुश हो जाइए... क्योंकि अब पानी की चिंता दूर हो गई है। धोलावड़ जलाशय का जलस्तर 390 के पार पहुंच गया है। शहर में अगले साल की जलापूर्ति के लिए ये पर्याप्त है। ऐसी सूचनाएं किस काम की ? क्योंकि नगर निगम मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की घोषणा के बावजूद जुलाई तक प्रतिदिन जलप्रदाय शुरू नहीं कर पाया है आधा अगस्त बीतने के बाद भी इसकी कोई हलचल नहीं है, जिससे लगता है कि शहरवासियों को अभी भी पूरे महीने का टेक्स देने के बाद 15 दिन के पानी से ही संतोष करना पड़ेगा।

प्रतिदिन जलप्रदाय की योजना विधानसभा चुनाव के बाद से लंबित है। इस पर पिछले साल चर्चा जब शुरू हुई थी, जब विधायक चेतन्य काश्यप ने थावरिया बाजार टंकी के लोकार्पण समारोह में नगर निगम को इसका क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर निगम अमले ने अलग-अलग हिस्से में नियमित जलप्रदाय शुरू करने की योजना बनाई थी। उसके मुताबिक सबसे पहले कस्तुरबा नगर टंकी से रोज पानी देने की शुरुआत भी कर दी गई थी। बाद में चुनाव आचार संहिता के भय के बीच दूसरे

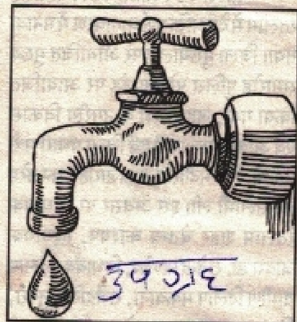

क्षेत्रों में काम रुक गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान जब रतलाम आए, तो फरवरी में उनके हाथों कुछ क्षेत्रों में नियमित जलप्रदाय की शुरुआत होने के आसार बने थे, लेकिन तब निगम के अमले ने बहानेबाजी कर उसे टाल दिया था।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने डोसीगांव में प्रधानमंत्री आवास के लोकार्पण समारोह के मंच से जुलाई तक नियमित जलापूर्ति शुरू होने की घोषणा की थी। विडंबना है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नगर निगम ने लापरवाही नहीं छोड़ी, जिससे शहरवासियों को रोज पानी देने की योजना अब भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। शहरवासी इस घोषणा को अब चुनावी शगूफा मान रहे हैं। पहले भी जब नगरीय निकायों की हलचल हुई थी, तब भी इस घोषणा की चर्चा चली थी। निकाय चुनाव अब चूंकि निकट भविष्य में होने नहीं हैं, इसलिए नागरिकों को रोज पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।

बारिश का कोटा पूरा, फिर भी व्यवस्था फेल

जिले में 15 अगस्त तक सामान्य रूप से 577.2 मिमी बारिश होना थी, जबकि जिले में 590.9 मिमी पानी बरस गया है। शहर को जलापूर्ति करने वाले धोलावड़ जलाशय में बारिश के कारण पानी भर गया है। यदि व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए, तो शहरवासियों को रोज पानी देने के लिए जलाशय में पूरा पानी भरा है, लेकिन नगर निगम अमला रोज पानी देना तो दूर, एक दिन छोड़कर शहर को पानी देने की जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, उसे भी सुचारू रूप से संचालित नहीं कर पा रहा है। पिछले पखवाड़े बार-बार व्यवधान आने पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने पहले निगम अमले को व्यवस्था में सुधार के लिए चेताया और बाद में प्रभारी इंजीनियर को निलंबित तक कर दिया। लेकिन दुख की बात है कि निगम की व्यवस्थाएं इसके बाद भी नहीं सुधर पाई हैं।

उपग्रह 21/8/21

प्रदेश के हर जिले में बनाई जाएगी हवाई पट्टी : मुख्यमंत्री

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ने का सपना पूरा करने के लिए प्रदेश के हर जिले में हवाई पट्टी बनाई जाएगी। जिलों को उड़ान से जोड़ने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं भी करेंगे।

शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जबलपुर से दिल्ली, इंदौर और मुंबई के लिए इंडिगो की नई उड़ानों का केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा शुभारंभ किया। उन्होंने जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का अनुरोध भी सिंधिया से किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जन भावनाओं का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री अपने निवास से वर्चुअल कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मालूम हो, 20 अगस्त से जबलपुर से मुंबई और दिल्ली की विमान सेवा आरंभ हुई। जबलपुर से हैदराबाद और इंदौर तो इंदौर से मुंबई और जबलपुर के लिए यह सेवा 28 अगस्त से शुरू होगी।

प्रदेश में प्रति सप्ताह 424 से 588 हुई उड़ानें : मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री की उड़ान योजना के उद्देश्य को पूर्ण करने में पूरे समर्पण और गतिशीलता से केंद्रीय मंत्री सिंधिया लगे हैं। उन्होंने जब कार्यभार ग्रहण किया तब मध्य प्रदेश से प्रति सप्ताह 424 उड़ाने संचालित हो रही थी, जो अब बढ़कर प्रति सप्ताह 588 हो गई हैं। उन्होंने सिंधिया से अनुरोध किया कि छोटे शहरों में हवाई सेवा शुरू करने में मध्य प्रदेश को विशेष सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर में हवाई संपर्क बढ़ने से क्षेत्र का औद्योगिक व आर्थिक विकास होगा और पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी। जबलपुर के हवाई अड्डे के विस्तार के लिए राज्य शासन ने 730 एकड़ से अधिक भूमि हस्तांतरित की है।

काबुल से भारतीयों को लाने में एयर इंडिया, वायुसेना के प्रयास सराहनीय : सिंधिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काबुल से भारतीय नागरिकों को वापस लाने में एयर इंडिया और भारतीय वायुसेना के प्रयासों की सराहना की है। जबलपुर से नई दिल्ली के लिए इंडिगो की उड़ानों के वर्चुअल उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'हम रोजाना काबुल के लिए उड़ान संचालित कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान का हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद भारतीय वायुसेना लोगों को सुरक्षित वापस लाई।

नईदुनिया

नईदुनिया २१/8/२१

संक्रमण • 2018 में सालभर में सर्वाधिक 242 केस मिले थे, ट्रेंड सितंबर के बाद मामले बढ़ने का है

रतलाम में डेंगू नया रिकॉर्ड बनाने की ओर 20 दिन में 92 मामले मिले, कुल 161 केस

- मानसून पैटर्न चेंज होने का असर दिख रहा है
- प्राथमिक स्टेज पर मरीज मिलने से राहत

भास्कर संवाददाता | रतलाम

रतलाम में डेंगू इस साल नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। अगस्त के महीने में सिर्फ 20 दिन में 92 मामले सामने आ चुके हैं। ये केस वो है, जो रिकॉर्ड पर आए हैं। अब तक 161 मामले मिल चुके हैं। जबकि, हमारे शहर में डेंगू का सीजन सितंबर के बाद शुरू होता है। इधर, अब अधिकारी भी स्थिति को भांप गए हैं, पूरे शहर में लगातार फॉगिंग की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम भी मलेरिया विभाग के कार्यालय पहुंचे और स्थितियों का जायजा लिया है।

जिले में दो साल से डेंगू के मामले बारिश का मौसम थमने के बाद सामने आ रहे थे। लेकिन, इस बार डेंगू ने सभी को चौंका दिया है। सावन के महीने में ही डेंगू का प्रहार देखने को मिला है। अब तक 161 केस सामने आ गए हैं, बारिश के साथ ही ये संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 20 दिनों में ही 92 मामले आ चुके हैं, यानी औसतन 5 मामले रोज। 31 जुलाई तक एलाइजा पॉजिटिव 63 मामले ही थे, किट सहित 83 केस थे। इधर, डेंगू सितंबर के बाद ज्यादा बढ़ने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में इस बार 2018 का रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। 2018 में सालभर में डेंगू के 242 केस मिले थे, जो कि अब तक एक साल में मिले सर्वाधिक मामले हैं।

दो महीने पहले पॉजिटिव मिलना शुरू हुए, शहर में फॉगिंग शुरू

नगर निगम और मलेरिया अधिकारी टीम के साथ फॉगिंग करवा रहे हैं।

7 साल में तीसरी बार 160 से ज्यादा डेंगू के मामले

2015	70	2017	34	2019	162	2021	161
2016	32	2018	242	2020	42		

(स्रोत-मलेरिया विभाग)

2018 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच मिले थे केस 2018 में ज्यादातर मामले अक्टूबर से दिसंबर के बीच मिले थे। इसके बाद से 2019 और 2020 में डेंगू के मामले ठंड में ज्यादा सामने आ रहे हैं। 2020 में सितंबर के महीने तक सिर्फ 5 ही डेंगू के केस थे, इसके बाद मामले बढ़े थे। सालभर में 42 केस ही आए थे, अभी इससे चार गुना से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं।

मलेरिया विभाग पहुंचे कलेक्टर - इधर, शुक्रवार को मोहर्रम की छुट्टी थी, इस कारण शहर में सर्वे नहीं हो सका है। कलेक्टर मलेरिया विभाग के कार्यालय पहुंचे, कर्मचारियों से चर्चा की, वहीं निगम अधिकारियों से बात कर पानी निकासी के इंतजाम करने और शहर में लगातार फॉगिंग करवाने का कहा है।

मानसून पैटर्न चेंज होने का असर - *डेंगू से गंभीर बीमार नहीं हो, प्राथमिक स्टेज पर लोगों की पहचान कर रहे हैं। दो साल से बारिश बाद मामले सामने आ रहे थे। मानसून पैटर्न चेंज होने का असर दिखा है। शहर में फॉगिंग की जाएगी।*

डॉ. प्रमोद प्रजापति, मलेरिया अधिकारी, रतलाम

दे. भास्कर 21/8/21

यातायात सुधार तथा शहरी व्यवस्था के लिए टास्क फोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी

रतलाम । रतलाम शहर में यातायात व्यवस्था के सुधार तथा अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में यातायात उपसमिति की एक बैठक आयोजित हुई। कलेक्टेट कक्ष में आयोजित उक्त बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देश दिए कि अधिकारियों की टास्क फोर्स शहर की विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में अपनी अनुशंसा से अवगत कराएं। आगामी 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिला यातायात समिति के अनुमोदन पश्चात अमल किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुनील पाटीदार, जिला परिवहन अधिकारी श्री दीपक माझी, सीएसपी श्री हेमंत चौहान, नगर निगम के उपायुक्त श्री विकास सोलंकी तथा एमपीआरडीसी के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में रतलाम शहर में सब्जी व्यवसायियों की युक्तियुक्त ढंग से बैठक व्यवस्था पर विचार किया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि मुख्य मार्गों पर सब्जियां विक्रय नहीं हो। इस संबंध में कुछ स्थान चिन्हित किए जाएंगे। ऑटो चालकों, मैजिक चालकों को परिचय पत्र और आईडी नंबर देने, मुख्य बाजारों को हाकर फ्री करने पर भी विचार किया गया। यातायात सिग्नल सुधार, नो व्हीकल जोन, हाईवे पर डार्क स्पॉट, हाई मास्ट लगाने, सोलर पैनल लगाने जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई जिन पर कार्य किया जाना है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, नगर निगम उपायुक्त, एसडीएम शहर तथा सीएसपी की संयुक्त टास्क फोर्स को निर्देशित किया गया।

समग्र प्रगति 2/8/21

जर्जर सड़कों पर सीएम नाराज, कहा - एक्सक्यूज न दें, गड्ढे तुरंत खत्म करें

पीपुल्स ब्यूरो • भोपाल
मो.नं. 9425078939

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंत्रालय में भोपाल सहित प्रदेशभर में बारिश से बदहाल हुई सड़कों की समीक्षा की। सड़कों पर गड्ढों को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। राजधानी में खराब सड़कों पर सीएम ने कमिश्नर कवींद्र कियावत से पूछा कि सड़कों के गड्ढे अभी तक क्यों ठीक नहीं हुए। इस पर

संभागायुक्त ने कहा कि गड्ढे भरने का काम चल रहा है।

उनके जवाब से नाराज सीएम ने कहा कि मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तत्काल गड्ढों को दुरुस्त किया जाए। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के पीएस नीरज मंडलोई से पूछा कि भोपाल में सड़क बनाने का काम कौन-कौनसी एजेंसियां करती हैं, तो उन्होंने कहा कि नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, सीपीए और एनएचएआई। इस पर सीएम ने सीपीए को तत्काल समाप्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सड़कों की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य निरंतर किया जाए। सड़कों पर गड्ढे नहीं दिखने चाहिए। पिपुल्स

पिपुल्स समाचार 21/8/21

बरसे रे मेघा-मेघा...

कई हिस्सों में फिर भरा पानी

रतलाम में 24 घंटे में 3 इंच बारिश, 70.67% कोटा पूरा, इसी साल बने सिटी फोरलेन पर भी हो गया जलजमाव

रतलाम | जिले में तेज बारिश का दौर शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। शहर में 24 घंटे में 3 इंच बारिश हो गई। इसके साथ बारिश का 70.67% कोटा पूरा हो गया है। इधर, बारिश मुसीबत बनकर सामने आई, कई नाले उफान पर आ गए तो पावर हाऊस रोड पर बने फोरलेन पर भी पानी जमा हो गया।

'ड्रेनेज बेहतर हो तो नहीं होगी परेशानी'

सिविल इंजीनियर यश श्रीवास्तव ने बताया रोड बनाने के दौरान लेवलिंग का विशेष ध्यान रखना होता है। कई बार अप डाउन होने से इस तरह की दिक्कत सामने आती है। इसमें सुधार हो सकता है। सही निकासी क्यों नहीं हो रही, ये देखना चाहिए। ड्रेनेज तक पानी निकासी में परेशानी ना हो तो समस्या दूर हो सकती है।

बारिश से पावर हाउस रोड स्थित लहसुन-प्याज मंडी के सामने इस तरह हो गया जलभराव। फोटोः राकेश पोरवाल

कहां-कितनी बारिश

स्थान	बारिश	बाजना	0.90
आलोट	1.61	रतलाम	2.91
जावरा	2.32	रावटी	1.39
ताल	1.45	सैलाना	1.53
पिपलौदा	1.45	जिला	1.70

आगे क्या

मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया आगामी 24 घंटे में बारिश के आसार है। कहीं तेज तो कहीं मध्यम या कम वर्षा हो सकती है। टर्फ लाइन, पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है।

दै. भास्कर 21/8/21

प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : जिले में 31 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू

प्रसारण न्यूज़ * रतलाम

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सांमाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

रूल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां यह छूट रहेगी। अन्तरराज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। प्रसारण

प्रसारण 21/8/21

मामला सीवरेज कार्य के दौरान परेशानी का

कलेक्टर दरबार से पहले कंपनी ने जारी कर दिए अपने हेल्पलाइन नंबर

फॉलोअप

पत्रिका

प्रकाशित खबर।

रतलाम. शहर में नगर निगम से जुड़ी समस्याओं के ऑन द स्पॉट समाधान के लिए निगम प्रशासक व कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शनिवार की शाम 4 बजे से 5 बजे तक दरबार निगम हॉल में लगाने की घोषणा कर चुके हैं। शनिवार को दरबार लगे इसके एक दिन पूर्व ही शहर में सीवरेज का काम करने वाली कंपनी ने आमजन के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। शहर में सबसे अधिक नाराजी सीवरेज के काम के दौरान सड़क के जर्जर होने से ही आमजन नाराज हैं।

सीवरेज का काम करने वाली कंपनी के शहर में इंजीनियर वैभव शर्मा ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इसमे इस बात का उल्लेख किया गया है अगर कही नई सीवरेज लाइन के मेनहोल या हाउस चेंबर चोकअप अथवा ओवरफ्लो होने की स्थिति हो तो हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे। साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर अपना नाम, अपनी गली और मोहल्ला, वार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं ताकि सुगमता से संपर्क किया जा सकें। असल में कलेक्टर के दरबार से नगर निगम में हर कोई डरा हुआ है। सबसे अधिक परेशानी शहर में सड़क से लेकर गंदगी के मामले में है। इसके अलावा सीवरेज कार्य के दौरान जो सड़के जर्जर हुई है उससे भी आमजन कॉलोनियों से लेकर मुख्य मार्ग तक परेशान है।

आमजन की परेशानी को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर 9179590374 जारी किया गया है। इस मोबाइल नंबर पर सीवरेज कार्य से जुड़ी परेशानी होने पर मैसेज या वाट्सएप किया जा सकेगा। - **वैभव शर्मा**, सीवरेज निर्माण कार्य इंजीनियर

पत्रिका

पत्रिका २१/८/२१

नवभारत

नगर निगम में आज कलेक्टर करेंगे जन शिकायतों का निवारण

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को नगर निगम कार्यालय में शाम को जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की निगम संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस दौरान नगर निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन शिकायत निवारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। जन शिकायत निवारण कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को कलेक्टर की उपस्थिति में नगर निगम परिसर में आयोजित होगा।

नवभारत २१/८/२१

प्रसारण

नगर निगम में आज से कलेक्टर करेंगे जन शिकायत निवारण

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को नगर निगम कार्यालय में शाम को जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की निगम संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस दौरान नगर निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन शिकायत निवारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। जन शिकायत निवारण कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को कलेक्टर की उपस्थिति में नगर निगम परिसर में आयोजित होगा।

प्रसारण २१/८/२१

निगम में हर शनिवार कलेक्टर करेंगे जनसुनवाई

रतलाम। नगर निगम कार्यालय में हर शनिवार शाम को जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के माध्यम से कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम लोगों की निगम संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस दौरान नगर निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन शिकायत निवारण शाम चार से पांच बजे तक किया जाएगा।

[illegible] २१/८/२१

सड़कों पर उभरे गड्ढे वाहन चालकों को दे रहे दर्द, पेचवर्क के नाम पर हो रही खानापूर्ति

चूरी-मुरम का पैबंद भी नहीं लगा कहीं पत्थर तो कहीं गड्ढा खुला छोड़ा

पत्रिका अभियान

बदहाल सड़कों के सुधरे हाल

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. बारिश से उधड़ी हुई सड़कें यहां के लोगों को दर्द दे रही हैं। इन सड़कों की मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही होती नजर आ रही है। कुछ मार्ग ऐसे भी हैं, जहां पर मुरम का मलहम भी नहीं लग पाया है तो कुछ मार्ग ऐसे भी है, जहां पर सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की गई है।

शहर की दर्द भरी राहों को लेकर जिम्मेदारों से सवाल किए जाते हैं तो सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि सीवरेज कार्य होने के चलते परेशानी हो रही है जबकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सीवरेज का कार्य पूरा हुए भी 2 साल बीत चुके हैं लेकिन वहां पर बारिश में गड्ढे उभर आते हैं और लोगों को दर्द देते हैं लेकिन जिम्मेदार मरम्मत के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करने में लगे रहते हैं। पत्रिका

2 महीने और तकलीफ उठाना होगी

मुरम डालकर खानापूर्ति की जा रही है लेकिन तेज बारिश होने पर मुरम सड़क पर बह निकलती है और फिर से गड्ढे खुल जाते हैं जिसके चलते राहगीर फिर से हादसों का शिकार हो जाते हैं। दरअसल हर साल बारिश के बाद यदि इन गड्ढों को सही तरीके से भरा जाए तो बार-बार पैंच नहीं खुले।

आपसी तालमेल की कमी

सड़कों की बदहाल हालत के पीछे कुछ विभागों के जिम्मेदार भी हैं जो कि किसी भी निर्माण कार्य या अन्य कार्य को करने के पहले समन्वय नहीं करते हैं। तालमेल की कमी के चलते बार-बार सड़कों की दशा बिगड़ जाती है। सड़कों की खुदाई होती है तो पाइप लाइन के लिए तो कभी निजी कंपनी से जुड़े लोग केबल डालने के लिए इन्हें खोद देते है।

पत्रिका 21/8/21

आज कलेक्टर करेंगे जन शिकायत निवारण

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शनिवार 21 अगस्त को नगर निगम कार्यालय में शाम को जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के माध्यम से शहर के नागरिकों की निगम संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस दौरान नगर निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत शाम 4 से 5 बजे तक शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। जन शिकायत निवारण कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को कलेक्टर की उपस्थिति में नगर निगम परिसर में आयोजित होगा।

पिपुल्स 21/8/21

नगर निगम में शनिवार को कलेक्टर करेंगे जन शिकायत निवारण

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को नगर निगम कार्यालय में शाम को जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की निगम संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस दौरान नगर निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन शिकायत निवारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा। जन शिकायत निवारण कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को कलेक्टर की उपस्थिति में नगर निगम परिसर में आयोजित होगा।

इन्दौरसमाचार 21/8/21

नगर निगम में शनिवार को कलेक्टर करेंगे जन शिकायत निवारण

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शनिवार को नगर निगम कार्यालय में शाम को जन शिकायत निवारण कार्यक्रम के माध्यम से नागरिकों की निगम संबंधी समस्याओं का निवारण करेंगे। इस दौरान नगर निगम के समस्त अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जन शिकायत निवारण शाम 4 से 5 बजे तक किया जाएगा।

दबंग दुनिया 21/8/21

घर जाकर कोरोना टीकाकरण करने का अंतिम दौर शुरू

रतलाम। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच रतलाम में टीकाकरण का कार्य जोर-शोर से जारी है। प्रशासन ने बुजुर्गों के लिए अब घर पर ही टीका लगवाने की व्यवस्था देकर शहर में शत-प्रतिशत टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का इरादा जता दिया है।

विधायक चेतन्य काश्यप के अनुसार रतलाम शहर में 87 प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। शेष रहे 13 प्रतिशत लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रशासन के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अभियान चला रही है। भाजपा ने 15 दिवसीय घर-घर दस्तक अभियान शुरू किया है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता टीकाकरण से वंचित लोगों को घर-घर जाकर प्रेरित करेंगे। इधर प्रशासन ने 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और असहाय लोगों के लिए टीकाकरण के लिए घर पहुंच सुविधा शुरू कर दी है। इसमें 1075 नंबर पर फोन लगाना होगा। एसडीएम अभिषेक गेहलोत के अनुसार जो लोग केन्द्र पर नहीं आ सकते, उनके नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, वार्ड, निवास का पता व टीकाकरण केन्द्र पर नहीं पहुंच पाने का कारण 1075 पर कॉल कर लिखवाने होंगे। ऐसे बुजुर्ग व असहाय लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम घर पहुंच कर कोरोना से बचाव का टीका डोज लगाएगी। उन्होंने आम जनता से सभी लोगों को टीका लगवाने का आव्हान किया है। उपग्रह

उपग्रह 21/8/21

आज जिले में 45 केंद्रों पर होगा वैक्सीनेशन

रतलाम। शहर में शनिवार को कम्युनिटी हाल अलकापुरी और जैन काश्यप सभागृह सागोद रोड रतलाम पर कोविशील्ड के दूसरे डोज का वैक्सीनेशन किया जाएगा। शहर के आइएमए हाल राजेंद्र नगर पर को-वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। सीएमएचओ डा.प्रभाकर ननावरे ने सभी लोगों से दूसरा डोज अनिवार्य रूप से लगवाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि शहर के न्यू कलेक्टोरेट केंद्र पर विदेश यात्रा करने वाले एवं शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविशील्ड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। नई.

नईदुनिया 21/8/21

पुराने कलेक्ट्रेट में गुलाब चक्कर पर बनेगा बैंड स्टैंड

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया निरीक्षण

प्रसारण न्यूज • रतलाम

शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड बनाया जाएगा, जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय कलाकार कला का जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुए बताया कि गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े भी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटैक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है, जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है, जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है। जिला पर्यटन परिषद उक्त कार्य में सहयोगी बनेगी, परिषद देखभाल का कार्य करेगी। प्रसारण

प्रसारण 21/8/21

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए अब गुलाब चक्कर में बनेगा बैंड स्टैंड

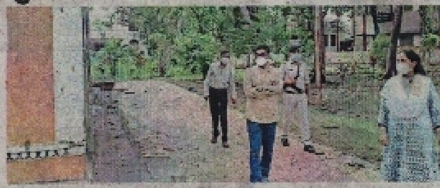

गुलाब चक्कर का निरीक्षण करते कलेक्टर।

रतलाम | गुलाब चक्कर में बैंड स्टैंड बनाया जाएगा। इससे यहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हो सकेगी। स्थानीय कलाकार यहां अपनी कला का जलवा बिखेर सकेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्टोरेट पहुंचे और जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया गुलाब चक्कर को पुराने स्वरूप में लाने के लिए इंटैक को यह कार्य सौंपा है। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है। जिला पर्यटन परिषद उक्त कार्य में सहयोगी बनेगी। परिषद देखभाल का कार्य करेगी। इस दौरान अपर कलेक्टर जमुना भिड़े भी उपस्थित थीं। भास्कर

दै. भास्कर 21/8/21

गुलाब चक्कर पर बनेगा बैंड स्टैंड, कलाकार देंगे प्रस्तुतियां

रतलाम। पुराने कलेक्टोरेट परिसर में स्थित गुलाब चक्कर परिसर में अब बैंड स्टैंड बनाया जाएगा। यहां सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी और स्थानीय कलाकार कला का जलवा बिखेरेंगे। शुक्रवार को कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्टोरेट का निरीक्षण करते हुए बताया कि गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर जमुना भिड़े भी उपस्थित थी।

कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटैक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है। जिला पर्यटन परिषद उक्त कार्य में सहयोगी बनेगी, परिषद देखभाल का कार्य करेगी।

पांच साल पहले किया था कायाकल्प: गुलाब चक्कर परिसर को निखारने के लिए कई वर्षों से योजनाएं बनती रही हैं। वर्ष 2016 में तत्कालीन कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने पूरे परिसर में लाइटिंग, रंगरोगन सहित फव्वारे, पैवर ब्लाक व लकड़ी का स्टेज बनवाकर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की शुरुआत की थी। इसके बाद यहां शासकीय व सामाजिक कार्यक्रम भी होते रहे। रखरखाव में कमी के चलते परिसर का स्वरूप बिगड़ता रहा है।

नईदुनिया 21/8/21

गुलाब चक्कर पर बनेगा बैंड स्टैंड

रतलाम @ पत्रिका. शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गुलाब चक्कर में बैंड स्टैंड बनाया जाएगा। जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय कलाकार यहां पर आकर अपनी कला का जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण किया। कलेक्टर क अनुसार गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर जमुना भिड़े भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटैक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है।

पत्रिका 21/8/21

गुलाब चक्कर पर बनेगा बैंडस्टैंड

रतलाम। शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड बनाया जाएगा जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय कलाकार कला का जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुए बताया कि गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर जमुना भिड़े भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटैक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है। जिला पर्यटन परिषद उक्त कार्य में सहयोगी बनेगी, परिषद देखभाल का कार्य करेगी।

नवभारत 21/8/21

फिर होंगे तबादले, सरकार ने अब 31 अगस्त तक हटाई पाबंदी

बाढ़ के हालातों के मद्देनजर छह अगस्त को लगाई थी रोक

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। प्रदेश में तबादला आदेश जारी करने को लेकर चली आ रही उलझन अब खत्म हो गई है। सरकार ने तबादला नीति के तहत स्थानांतरण करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित कर दी है। इस अवधि तक विभाग नियमानुसार तबादले कर सकेंगे। इसके बाद प्रतिबंध लग जाएगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने मोहर्रम के अवकाश के दिन शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादला नीति के तहत राज्य और जिला स्तर पर अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण करने के लिए एक जुलाई से 31 जुलाई की अवधि निर्धारित की थी। मंत्रियों की मांग पर इस अवधि को बढ़ाकर सात अगस्त कर दिया गया था लेकिन इस बीच ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में अतिवर्षा से बाढ़ के हालात बन गए। ऐसे में यहां पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानांतरण संभव नहीं थे और मंत्री भी बचाव व राहत कार्य में जुटे थे। प्रदेश के अन्य जिलों से भी अधिकारियों को राहत कार्यों में लगाया गया था। इसे देखते हुए छह अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को तबादला प्रक्रिया को स्थगित करने के निर्देश दिए थे और 15 अगस्त के बाद इस मामले में विचार करने के लिए कहा था। इस बीच कुछ विभाग ने पिछली तारीखों में तबादला आदेश भी जारी कर दिए पर अधिकांश विभाग सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को स्थानांतरण पर प्रतिबंध से 31 अगस्त तक की छूट दी है। इस अवधि में विभाग तबादला नीति के प्रविधानों के अनुसार तबादले कर सकेंगे। जिलों में प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही तबादले होंगे। एक सितंबर से तबादला पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद कोई भी स्थानांतरण मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से ही होगा।

तत्काल करना होगा कार्यमुक्त : तबादला नीति में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तबादला आदेश जारी होने के तत्काल बाद ही संबंधित अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त कर दिया जाए। ऐसा न करने पर संबंधित प्रभारी अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। वहीं तबादला नीति का पालन करने की विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी विभाग प्रमुख अपर मुख्य सचिव (एसीएस) या प्रमुख सचिव की होगी।

वित्त सेवा के अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त करने पर विभाग ने जताई नाराजगी

भोपाल (नईदुनिया स्टेट ब्यूरो)। वित्त सेवा के अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त करने पर वित्त विभाग ने नाराजगी जताई है।

विभाग की ओर से सभी विभाग और विश्वविद्यालय को दिए निर्देश में साफ कहा गया है कि बिना वित्त विभाग से पूछे ऐसी कार्रवाई न की जाए। यदि अधिकारी के काम को लेकर संतुष्ट नहीं हैं तो बाकायदा लिखित में विभाग को अवगत कराएं। भविष्य में ऐसा होने पर किसी अन्य अधिकारी की पदस्थापना में कठिनाई होगी।

दरअसल, विभागीय समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि कुछ विभागों ने वित्त सेवा या अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों को एकतरफा कार्यमुक्त कर दिया। ऐसे में उन्हें संचालक कोष एवं लेखा में आमद देनी पड़ती है और वहां रिक्त पद नहीं होने की वजह से वेतन-भत्ते के भुगतान में परेशानी होती है और संवर्ग प्रबंधन भी गड़बड़ाता है।

नईदुनिया 21/8/21

सरकार ने बढ़ाई मियाद:

प्रतिबंध हटा, 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

भोपाल. राज्य सरकार ने फिर सरकारी कर्मचारी-अधिकारी के तबादलों पर लगाई रोक हटा दी हैं। अब 31 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। बड़े विभागों में अभी अधिकतम पांच फीसदी तक तबादले होने हैं। सभी तबादले 24 जून को जारी नीति के मुताबिक ही किए जाएंगे।

दरअसल, राज्य सरकार ने ग्वालियर-चंबल में आई बाढ़ के कारण वहां बड़ी संख्या में सरकारी अमले के व्यस्त हो जाने के चलते 6 अगस्त को तबादलों पर रोक लगा दी थी, जबकि उस समय 7 अगस्त तक तबादले होने थे। मंत्री 15 अगस्त तक तबादले की डेट बढ़ाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तबादला आदेश नहीं निकालने की बात कही थी। तब 15 अगस्त के बाद इस मामले में कोई निर्णय करना तय किया गया था। वजह ये कि उस समय बड़ी संख्या में तबादलों की सूचियां बनी रखी थी, लेकिन इस बार की प्रक्रियागत पेचीदगियों के कारण थोक में आदेश नहीं निकल पाए थे, इसलिए अब सरकार ने 31 अगस्त तक के लिए रोक हटा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।

पहली बार देरी के 2 बड़े कारण : लंबे समय बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक महीने तक प्रतिबंध हटने के बावजूद ज्यादा तबादले नहीं हुए। दरअसल, इस बार तबादला आदेश पीएस के ईमेल से जारी होने पर ही मान्य है, इसलिए इसे बारीकी से देखा जा रहा है। वहीं इस बार सांसद-विधायकों के फर्जी सिफारिशों के पत्र बड़ी संख्या में मिले। पत्रिका

जिले में 31 की सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 अगस्त की प्रात: 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा।

समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शापिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमाघर संचालक को कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे।

समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगे। जिले में विवाह आयोजन में दोनों पक्षों को मिलाकर अधिकतम 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं थाना प्रभारी को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा। इस हेतु सूची के साथ अनुमति के लिए आवेदन सात दिवस पूर्व देना होगा। समस्त सहभागियों को दो दिवस पूर्व आरटीपीसीआर अथवा आरएटी करवाना अनिवार्य होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। रुल्स आफ सिक्स - अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जहां पर स्पष्ट रुप से 6 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति दी जाती हो, वहां छूट रहेगी। अन्तर्राज्यीय, राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।

सभी सार्वजनिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के प्रोटोकाल (फेस मास्क, सेनिटाईजर, दो गज की दूरी, गोले बनाना व रस्सी बांधना) का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जा सकेगा। प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधकों द्वारा यह प्रयास किया जाए कि उनका स्वयं का तथा प्रतिष्ठान पर कार्यरत समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन हो चुका हो।

नवभारत 21/8/21

नाइट कर्फ्यू अब 31 तक रहेगा

रतलाम | जिले में नाइट कर्फ्यू 31 अगस्त की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा।

सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कॉलेज खोले जाने के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। सभी धार्मिक, पूजा स्थल खुल सकेंगे एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजन को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग माल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमाघर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। कोविड 19 प्रोटोकाल का पालन करना सुनिश्चित करना होगा। समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेन्टर 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे लेकिन खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।

रात दस बजे तक खुले रह सकेंगे रेस्टोरेंट - रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड 19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। जिले में विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 100 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।

भास्कर

दै. भास्कर 21/8/21

31 अगस्त की सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू

रतलाम. जिले में कोरोना के मरीज भले ही अब न के बराबर है लेकिन यहां पर रात का कर्फ्यू अब भी जारी रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत रतलाम जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में आगामी 31 अगस्त की सुबह 6 बजे तक के लिए यह प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे।

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण रतलाम जिले में रात्रि 11 बजे से प्रात: 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल, कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व में जारी आदेश में प्रदत्त दिशा-निर्देश यथावत प्रभावशील रहेंगे। पत्रिका

पत्रिका 21/8/21

पलसोड़ा वर्कशॉप में और अधिक पौधे लगाने के दिए निर्देश

कलेक्टर एवं प्रशासक द्वारा एसटीपी प्लांट व वर्कशॉप का

प्रसारण न्यूज • रतलाम

पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशॉप व खेतलपुर में निर्मित एस टी पी प्लॉट का निरीक्षण कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम कुमार पुरूषोत्तम ने निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया व निगम अधिकारियों के साथ कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

कलेक्टर एवं प्रशासक पुरूषोतम ने पलसोड़ा में नगर निगम की नवीन वर्कशाप का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वर्कशॉप की 2.50 हेक्टर भूमि के सीमांकन हेतु निर्मित की गई बाउण्ड्रीवॉल व कार्यालय हेतु निर्मित किये गये कक्षों का अवलोकन कराया व बताया कि वर्कशॉप को हरा-भरा किये जाने हेतु 350 से अधिक पौधो का रोपण किया गया है।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने निर्देशित किया वर्कशॉप परिसर में और अधिक पौधो का रोपण किया जाये ताकि वर्षाकाल में पौधे पनप सकें साथ ही उन्होने निर्देशित किया कि वाहनों की निगरानी हेतु जीपीएस कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाकर कर्मचारी नियुक्त किया जाये।

इसके पश्चात कलेक्टर एवं प्रशासक श्री पुरूषोत्तम ने खेतलपुर में निर्मित सीवरेज एसटीपी प्लांट का निरीक्षण ... कि एस... ट्रीटेड (... टेंक अ... प्रशासक... इंजीनिय... एसटीपी... कलेक्ट... दौरान नि... शीघ्र बन...

निर्... जी. के. ... श्याम सो... इंजीनियर...

प्रसारण २१/८/२१

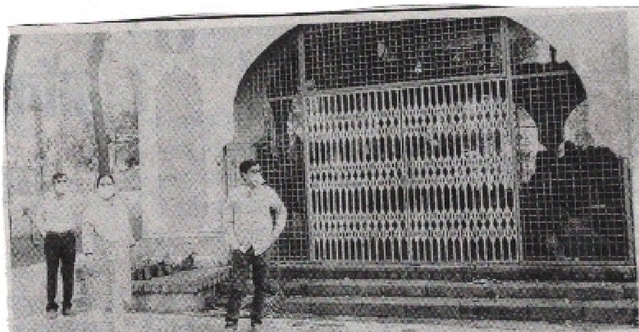

पुराने कलेक्ट्रेट में गुलाब चक्कर पर बनेगा बैंडस्टैंड

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने किया निरीक्षण

रतलाम। शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड बनाया जाएगा जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय कलाकार कला का जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुए बताया कि गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटेक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है। जिला पर्यटन परिषद उक्त कार्य में सहयोगी बनेगी, परिषद देखभाल का कार्य करेगी।

इन्दौर [illegible] २१/८/२१

पुराने कलेक्ट्रेट में गुलाब चक्कर का कलेक्टर ने किया निरीक्षण

रतलाम। शहर के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड बनाया जाएगा जहां पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। स्थानीय कलाकार कला का जलवा बिखेरेंगे। कलेक्टर ने शुक्रवार को गुलाब चक्कर तथा पुराने कलेक्ट्रेट का निरीक्षण करते हुए बताया कि गुलाब चक्कर को उसके पुराने स्वरूप में लाया जाएगा। इस दौरान अपर कलेक्टर भी उपस्थित थे। कलेक्टर ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध इंटेक संस्था को यह कार्य सौंपा गया है जिसमें गुलाब चक्कर को बैंड स्टैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। इंटैक एक प्रसिद्ध संस्था है जो पुरातात्विक महत्व के स्थानों को संवारने का कार्य करती है।

दबंग दुनिया / २१/८/२१

विधायक काश्यप ने एल्मिकों के साथ बनाई रूप रेखा

दिव्यांगजनों के लिए अक्टूबर में होगा वृहद शिविर

रतलाम। दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में वृहद शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने भारत शासन की उपकरण निर्माता एल्मिको कंपनी के साथ विचार विमर्श किया। एल्मिको कंपनी के संचालक उमेश झालानी एवं प्रबंधक राजेश दुबे के साथ हुई चर्चा में विधायक काश्यप ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले वृहद शिविर में 1000-1200 हितग्राहियों को उपकरण वितरण करना प्रस्तावित है। उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिंह से भी चर्चा की और उन्हें वृहद शिविर की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। भारत शासन के सामाजिक न्याय विभाग के उपक्रम एल्मिकों विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। इसकी उत्पाद श्रेणी में उपरी और निचली एक्सट्रीमिटीज़ के लिए ऑर्थोपेटिक और प्रोस्थैटिक उपकरण स्पाईनल ब्रेसिस, सर्वाईकल कॉलर्स, ट्रैक्शन किट्स, पुनर्वास सहायक व्हील चेयर, बैसाखियां और थ्री व्हीलर आदि शामिल है। नेत्र दिव्यांगों के लिए ब्रेल स्लेट, फोल्डिंग केन, एवं ब्रेल शार्ट-हैंड मशीन, अस्थि दिव्यांगोंके लिए लोअर लिम्ब ऑर्थोपेटिक (कैलिपर्स), लोअर लिम्ब प्रोस्थैटिक (कृत्रिम पैर), अपर लिम्ब प्रोस्थैटिक (कृत्रिम हाथ), स्पाईनल ऑर्थोपेटिक (गर्दन और पीठ के ब्रेसिस), प्रोस्थैटिक आपूर्ति (स्टीकिनैट्स), व्हीलचेयर्स (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), तिपहिया साईकिलें (मैनुअल एवं बैटरी संचालित), कांख एवं कोहनी बैसाखी, पैदल छडी, जेब में रखने योग्य श्रवण यंत्र भी एल्मिकों द्वारा बनाए जाते है। कंपनी द्वारा रतलाम में पूर्व में भी शिविर आयोजित हुए हैं जिनमें कई दिव्यांग व वृद्धजनों को उपकरण वितरित किए गए हैं। चर्चा के दौरान हेमन्त राहोरी भी मौजूद रहे। इन्दौर

इन्दौर समाचार 21/8/21

दिव्यांगों के लिए अक्टूबर में आयोजित होगा शिविर

विधायक चेतन्य काश्यप ने बनाई रूपरेखा

पीपुल्स संवाददाता ● रतलाम
मो.नं. 9826486291

दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को सहायक उपकरण वितरण के लिए अक्टूबर माह में वृहद शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर की रूपरेखा तैयार करने के लिए विधायक चेतन्य काश्यप ने भारत शासन की उपकरण निर्माता एल्मिको कंपनी के साथ विचार-विमर्श किया।

एल्मिको कंपनी के संचालक उमेश झालानी एवं प्रबंधक राजेश दुबे के साथ हुई चर्चा में विधायक काश्यप ने कहा कि अक्टूबर में होने वाले वृहद शिविर में 1000-1200 हितग्राहियों को उपकरण वितरण करना प्रस्तावित है। उन्होंने इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी सिंह से भी चर्चा की। उन्हें वृहद शिविर की तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। भारत शासन के सामाजिक न्याय विभाग का उपक्रम एल्मिको विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाता है। इनमें व्हील चेयर, बैसाखियां और थ्री व्हीलर आदि शामिल है। नेत्र दिव्यांगों के लिए ब्रेल स्लेट, फोल्डिंग केन, एवं ब्रेल शार्ट-हैंड मशीन, तिपहिया साईकिलें, जेब में रखने योग्य श्रवण यंत्र भी एल्मिको द्वारा बनाए जाते है। कंपनी द्वारा रतलाम में पूर्व में भी शिविर आयोजित हुए हैं जिनमें कई दिव्यांग व वृद्धजनों को उपकरण वितरित किए गए थे। चर्चा के दौरान हेमंत राहोरी भी मौजूद रहे। पिपुल्स

पिपुल्स 21/8/21

डीएनए तकनीक से तैयार दुनिया की पहली वैक्सीन, विशेषज्ञ समिति ने की है टीके की सिफारिश

12 साल से ऊपर के बच्चों की वैक्सीन का रास्ता साफ, तीन डोज लगेगी

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

कोरोना से बचाव के लिए 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने इसकी सिफारिश की है। इसके बाद अब जाइडस कैडिला की डीएनए तकनीक से तैयार वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी देने की तैयारी की जा रही है। भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) की मंजूरी के बाद इसका इस्तेमाल हो सकेगा।

यह छठी वैक्सीन है, जिसे देश में आपात इस्तेमाल की मंजूरी भारतीय नियामकों ने दी है। देश में तैयार यह दूसरी और डीएनए तकनीक से तैयार दुनिया की पहली वैक्सीन है। गुरुवार को सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति की बैठक में इसके इस्तेमाल की सिफारिश की गई। फिलहाल तीन डोज वाली जायकोव-डी को इजाजत मिली है। पहली खुराक के 28वें दिन दूसरी और 56वें दिन तीसरी खुराक दी जाएगी।

12 से 18 वर्ष आयु सीमा के करीब 26 करोड़ लोग

जायकोव-डी वैक्सीन को दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि कंपनी का कहना है कि 25 डिग्री तापमान पर भी इसके खराब होने की आशंका नहीं है। कंपनी हर साल 10 से 12 करोड़ डोज बना सकती है। इसकी कीमत अभी तय नहीं है। हालांकि नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (नेगवैक) के एक सदस्य ने इसके किफायती होने की उम्मीद जताई है। देश में 12 से 18 वर्ष के बीच के लोगों की संख्या करीब 25 से 26 करोड़ है।

प्राथमिक तौर पर 66.6%, मॉडरेट में 100% कारगर

तीसरे चरण में इस वैक्सीन का देश के 50 स्थानों पर 28 हजार से ज्यादा लोगों पर परीक्षण किया गया। इस वैक्सीन का 12 से 18 वर्ष तक के एक हजार बच्चों पर इसका परीक्षण हुआ है। कंपनी का दावा है कि प्राथमिक तौर पर यह 66.6 फीसदी प्रभावी है जबकि मॉडरेट केस में यह 100 फीसदी तक कारगर साबित हुई है।

जॉनसन एंड जॉनसन ने किशोरों पर वैक्सीन के अध्ययन के लिए इजाजत मांगी

नई दिल्ली | अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने 12 से 17 के किशोरों पर अपनी वैक्सीन के भारत में अध्ययन के लिए अनुमति मांगी है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को 17 अगस्त को आवेदन दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि हर्ड इम्युनिटी हासिल करने के लिए यह जरूरी है कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षण आबादी के इस वर्ग तक भी आगे बढ़ें। वह अपनी वैक्सीन की दुनियाभर में समतापूर्ण पहुंच के लिए प्रतिबद्ध है।

दै. भास्कर 21/8/21

प्रत्येक वार्ड में हैण्ड स्प्रे मशीन से होगा कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम। विधायक चेतन्य काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नागरिकों को डेंगू, मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लिये नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया गया है। निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि नागरिकों को डेंगू, मलेरिया व वर्षा जनित बीमारियों से बचाने के लिये निगम द्वारा कीटनाशक दवा छिड़काव का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिसके तहत प्रत्येक वार्ड के लिए एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया जाकर उन्हे हैण्ड स्प्रे मशीन तथा कीटनाशक दवा उपलब्ध कराई गई है। कर्मचारी अपने-अपने वार्डो में प्रतिदिन कीटनाशक दवा का छिड़काव करेंगे व इसका प्रमाणीकरण नागरिकों से लेकर स्वास्थ्य में उपलब्ध करायेंगे। नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि वे मच्छर जनित डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव हेतु अपने आसपास, गड्ढो में पानी एकत्रित ना होने दें साथ ही कूलर का पानी नियमित रूप से बदले, पानी की टंकियों को खुला ना छोड़ें, खुले मटके, ड्रम, टायर इत्यादि में पानी एकत्रित ना होने दें इसके अलावा अपने घरों से निकलने वाले कचरे को यहां-वहां, नाले-नालियों में न डालते हुए निगम के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालें साथ ही अपने आसपास जल भराव की स्थिति पैदा न होने दें तभी हमारा शहर साफ-स्वच्छ व सुन्दर होने के साथ डेंगू तथा मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्त रह सकेगा।

इन्दौर समाचार 21/8/21

तबादलों की अवधि बढ़ी

भोपाल, 20 अगस्त. मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण अवधि राज्य शासन ने स्थानांतरण अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी है.

नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत पहले 7 अगस्त तक तबादले होने थे, जिस पर बाढ़ के हालातों को देखते हुए 6 अगस्त को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रोक लगा दी थी.

कैबिनेट बैठक में 15 अगस्त तक तबादलों पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस अवधि में कई अधिकारी-कर्मचारी छूट गए थे, जिनके ट्रांसफर होने थे, वहीं मंत्रियों के पास भी कई सूचियां अटकी हुई थी, ऐसे में शिवराज सरकार ने तबादलों की अवधि को बढ़ा दिया है.

संभावना है कि आज-कल में

अब 31 अगस्त तक होंगे ट्रांसफर

रुके हुए तबादलों की लिस्ट जारी की जा सकती है. हालांकि रोक के बावजूद प्रदेश में पुलिसकर्मियों के तबादलों का भी सिलसिला जारी रहा, इस पर विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए थे. प्रशासकीय और स्वैच्छिक आधार पर भी ट्रांसफर हुए.

नवभारत

नवभारत 21/8/21

तबादलों से तीसरी बार प्रतिबंध हटा, अब 31 तक हो सकेंगे तबादले

भास्कर संवाददाता | भोपाल

राज्य सरकार ने शुक्रवार को तबादलों से तीसरी बार प्रतिबंध हटाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के दो हजार संवर्गों के चार लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस साल पहली बार 26 जून को तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया था, जिसके अनुसार 1 से 31 जुलाई तक तबादले किए जा सकते थे, लेकिन बाढ़ की वजह से राहत कार्यों में व्यस्त रहने की वजह से मंत्रियों के प्रभार के जिलों में तबादले नहीं किए जा सके थे। दूसरी बार 7 अगस्त तक तबादलों की तारीख बढ़ा दी थी। इसी दौरान सांसद और विधायकों के फर्जी मामलों के सामने आने पर तबादले बहुत ही खोजबीन के बाद करने को कहा गया। इसके बाद तबादलों पर 15 अगस्त तक प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब स्थिति सामान्य होने पर तीसरी बार तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है। अब 31 अगस्त तक तबादले हो सकेंगे। भास्कर

दै. भास्कर 21/8/21

उत्कृष्ट

सड़कों के सुधार के लिए कम पड़ा जनविरोध और आंदोलन

रतलाम। अभी बारिश और पहले सीवरेज तथा अन्य पाइप लाइन के लिए खुदने से जर्जर हुई सड़कें रतलामवासियों के लिए जी का जंजाल बनी हुई हैं। कई जगह सड़कों की दयनीय स्थिति हो गई है। इन पर गुजरने वाले के साथ कभी भी हादसा घटित हो सकता है। सड़कों की इस दुरास्थिति का सर्वत्र विरोध हो रहा है। शहर में आंदोलन भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी तात्कालिक रूप से कोई राहत नहीं मिल रही है।

शहर कांग्रेस ने पिछले सप्ताह दो बत्ती चौराहा की सड़क पर गड्ढा कूद प्रतियोगिता आयोजित कर व्यवस्था को शर्मसार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप दो बत्ती चौराहे पर गड्ढा कूद प्रतियोगिता में भाग लेकर जो अनोखा विरोध प्रदर्शन किया, उसमें जीतने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। इस प्रदर्शन की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई, लेकिन रतलाम का प्रशासन नहीं पसीजा। दो बत्ती चौराहा सहित शहर के कुछ स्थानों पर सड़क के अधूरे निर्माण की वजह से भी हालत बिगड़ी हुई है। कांग्रेस कमेटी ने जिले के प्रभारी मंत्री ओपीएस भदौरिया को भी रतलाम दौरे के दौरान ज्ञापन देकर सड़कों की स्थिति सुधारने की मांग की थी, लेकिन उनके आश्वासन के बाद भी सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के दो बत्ती क्षेत्र में गड्ढा कूद प्रतियोगिता और फिर गड्ढों में पौधे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रतलाम में केवल दो बत्ती चौराहा की सड़क ही जर्जर है। इस सड़क की स्थिति तो निर्माण के चलते ऐसी हुई है, लेकिन शहर में कई सड़कों का हाल खुदाई के बाद ठीक से मरम्मत नहीं होने के कारण बेहाल है।

दो बत्ती चौराहे की निर्माणाधीन सड़क का जहां तक सवाल है, इसे बनने में अभी भी तीन महीने लगेंगे। इस आशय की जानकारी जनोपयोगी लोक अदालत में कलेक्टोरेट और नगर निगम के प्रतिनिधि उपयंत्री विकास सिंह मकाम ने दी है। इसी प्रकार शांति समिति की बैठक में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने सड़क के गड्ढे भरने के लिए चूरी अथवा मुरम डालने के बजाए उसका पूरा नवनिर्माण करने की बात कही, जिससे तत्काल कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। इससे ये भी जाहिर है कि शहरवासियों को दीपावली तक सड़क समस्या से ऐसे ही जूझना पड़ेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में घटिया निर्माण की जांच

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी बरबोदना और बांगरोद तथा सालाखेड़ी और भाटपचलाना मार्ग की सड़कों का घटिया निर्माण जांच के घेरे में है। कलेक्टर द्वारा गठित तीन सदस्यीय टीम ने हाल ही में मौके पर जाकर जांच की। ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने इस टीम को सड़क के घटिया निर्माण की जानकारी दी। उनकेमुताबिक रतलाम को उज्जैन जिले से जोड़ने वाली सालाखेड़ी-भाटपचलाना की 27 किलोमीटर सड़क और बरबोदना- बांगरोद की 13 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 15 करोड़ और 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। जयपुर की पारुल कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इन सड़कों का निर्माण बारिश के पूर्व ही पूरा किया है। लेकिन पहली ही बारिश में सड़क के साथ इस पर बनी कई पुलिया भी क्षतिग्रस्त हो गई है।

शहर में लापरवाही से हुआ नुकसान

शहर की सड़कें पिछले सालों में कभी सीवरेज लाइन, कभी पाइप लाइन तो कभी केबलें डालने के लिए कई बार खोदी गई हैं। विडंबना है कि हर बार सड़क खोदने वाली एजेंसी पर सड़क को वापिस दुरस्त करने की पाबंदी भी थी, लेकिन नगर निगम और प्रशासन का अमला तब बेपरवाह बना रहा। सड़कें खोदने वाले गड्ढे करके उन पर लीपापोती करने के बाद अपना काम करके चले गए और प्रशासनिक व्यवस्था सोई रही। शहर के कुछ जागरूक नागरिकों ने उसे जगाया भी था, लेकिन स्वार्थवश वह जागी नहीं। इसका खामियाजा आज पूरा शहर भुगत रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने फरवरी महीने में रतलाम की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों को पंचवर्षीय योजना के तहत बनाने की घोषणा की थी। उसके तहत विधायक चेतन्य काश्यप ने नगर निगम से योजना बनवाना शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा और तब तक सड़कें और क्षतिग्रस्त हो जाएंगी।

उत्कृष्ट 21/8/21